कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 346/2026

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 02.09.2026

थाना-कोतवाली, जनपद-आजमगढ़

दिनांक-02.09.2026

☐ फर्जी दस्तावेजों व अलग-अलग नाम से दो पासपोर्ट बनवाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ पूर्व पासपोर्ट की जानकारी छिपाकर दूसरे नाम से बनवाया था पासपोर्ट, BNS एवं पासपोर्ट अधिनियम के तहत दर्ज था मुकदमा

आजमगढ़। थाना कोतवाली पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अलग-अलग नाम व जन्मतिथि से दो पासपोर्ट बनवाने के मामले में वांछित अभियुक्त मनोज सरोज उर्फ सनोज पासवान पुत्र जीतू उर्फ जीत बहादुर पासवान, निवासी उकरौड़ा, थाना कोतवाली, आजमगढ़ को गिरफ्तार किया है।

➡☐पुलिस के अनुसार अभियुक्त ने वर्ष 2018 में मनोज सरोज के नाम से पासपोर्ट बनवाया था। इसके बाद वर्ष 2023 में पूर्व पासपोर्ट की जानकारी छिपाकर सनोज पासवान के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनवाया गया। दोनों पासपोर्ट में अलग-अलग जन्मतिथि अंकित थी। जांच में अलग-अलग दस्तावेजों के आधार पर दोनों पासपोर्ट बनवाए जाने की पुष्टि हुई।

➡☐इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 369/2026, धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस एवं धारा 12(1)(बी) पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

➡☐थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 02.09.2026 को अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने वर्ष 2018 में बने पासपोर्ट से बैंकॉक जाने तथा बाद में दूसरे नाम से पासपोर्ट बनवाने की बात बताई। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम: उ0नि0 उदय शंकर तिवारी, का0 सचिन कुमार, का0 सुमित कुमार मय कोबरा-6 के कर्मचारीगण हे0का0 अजब नारायण सिंह एवं का0 जितेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़

दिनांक-02.09.2026

☐ साइबर फ्रॉड में ठगी गई ₹22,999 की धनराशि फूलपुर पुलिस ने कराई वापस

☐ डिलीवरी का पैसा दिलाने के नाम पर महिला से ₹42,979 की हुई थी ठगी, साइबर हेल्पडेस्क की त्वरित कार्रवाई से ₹22,999 वापस

आजमगढ़। थाना फूलपुर क्षेत्र की निवासी कंचन यादव पत्नी आंशिक यादव के साथ दिनांक 23.04.2026 को अज्ञात साइबर ठग द्वारा डिलीवरी का पैसा दिलाने के नाम पर उनके Fino Payments Bank खाते से ₹42,979 की साइबर ठगी की गई थी। पीड़िता द्वारा साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसका शिकायत संख्या 33104260089446 है।

➡☐शिकायत प्राप्त होने पर थाना फूलपुर साइबर हेल्पडेस्क द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी की गई धनराशि में से ₹22,999 को संबंधित बैंक से नोटिस भेजकर होल्ड कराया गया। इसके बाद माननीय न्यायालय से आवश्यक आदेश प्राप्त कर संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए होल्ड धनराशि ₹22,999 पीड़िता के खाते में वापस करा दी गई।

साइबर पुलिस टीम:
उ0नि0 दयानन्द, म0आ0 पूजा पाण्डेय।

थाना-पवई, जनपद-आजमगढ़
□ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर रोडवेज बस में जानबूझकर टक्कर मारने वाला पिकअप चालक गिरफ्तार
□ टक्कर में बस चालक व महिला की हुई थी मृत्यु, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी 09 मुकदमे दर्ज

आजमगढ़। दिनांक 28.08.2026 की रात पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या 191 पर पिकअप वाहन संख्या UP61AT1222 के चालक द्वारा रोडवेज बस संख्या UP78JT0316 में तेज गति एवं लापरवाही से टक्कर मारने की घटना हुई थी। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर पिलर से जा टकराई थी, जिसमें बस चालक रजनीकान्त यादव एवं एक अज्ञात महिला की मृत्यु हो गई तथा कई यात्री घायल हुए थे।

➡️□घटना के संबंध में थाना पवई पर मु0अ0सं0 207/2026 धारा 281, 125A, 125B, 105 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पिकअप चालक संतोष राजभर पुत्र रामआशीष राजभर, निवासी करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर का नाम प्रकाश में आया।

➡️□अभियुक्त घटना में घायल होने के बाद उपचार के लिए सीएचसी अहरौला पहुंचा, जहां से जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। इसके बाद वह पुलिस से बचने के उद्देश्य से गाजीपुर चला गया और वहां अस्पताल में भर्ती होकर उपचार कराने लगा। पुलिस द्वारा पतारसी-सुरागरसी के दौरान अभियुक्त को गाजीपुर से बेहतर उपचार हेतु पीजीआई जहानागंज, आजमगढ़ रेफर कराकर भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान दिनांक 01.09.2026 को समय 19:45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

➡️□पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि रास्ते में रोडवेज बस के चालक, परिचालक एवं यात्रियों द्वारा उसे उल्टा-सीधा कहे जाने से वह नाराज हो गया था और इसी गुस्से में उसने पिलर संख्या 191 के पास रोडवेज बस को जान से मारने की नीयत से जानबूझकर टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस एवं पिकअप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
आपराधिक इतिहास
अभियुक्त संतोष राजभर के विरुद्ध हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 संतोष कुमार यादव, का0 राबिन सिंह, का0 शैलेन्द्र कुमार एवं का0 पुष्कर सिंह, थाना पवई, जनपद आजमगढ़।

जनपद-आजमगढ़
□ नई-किरण परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की पहल से बिखरा परिवार फिर जुड़ा, 01 प्रकरण में कराया गया समझौता
□ दहेज उत्पीड़न के विवाद में अथक प्रयास से पति-पत्नी के बीच बनी सहमति, परिवार में लौटी खुशियां

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई-किरण में दिनांक 02.09.2026 को बैठक आयोजित की गई।

➡️□बैठक में 03 प्रकरणों में दोनों पक्षों को फोन/नोटिस के माध्यम से बुलाकर मिडिएशन कराया गया। दोनों पक्षों की उपस्थिति वाले 02 प्रकरणों में से 01 प्रकरण में अथक प्रयास एवं समझा-बुझाकर समझौता कराया गया।

➡️□प्रकरण में आवेदिका द्वारा पति एवं ससुराल पक्ष पर कम दहेज लाने को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने तथा मारपीट कर घर से निकालने के आरोप लगाए गए थे। परिवार परामर्श प्रकोष्ठ के सदस्यों द्वारा दोनों पक्षों की बात सुनकर आपसी समझ एवं सामंजस्य स्थापित कराया गया।

➡️□नई-किरण प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विवादों को आपसी संवाद एवं समझौते के माध्यम से सुलझाकर बिखरते परिवारों को पुनः एक सूत्र में जोड़ना तथा पारिवारिक न्यायालयों के कार्यभार को कम करने में सहयोग करना है।
कुल समझौते-01
जैनब पुत्री फिरोज, ग्राम नूरपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़।
इस अवसर पर उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, उ0नि0 सत्यनारायण यादव, आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता एवं महिला आरक्षी नेहा सिंह उपस्थित रहे।

थाना-सिधारी, जनपद-आजमगढ़

□ पैथालॉजी सेंटर व क्लिनिक में सेंधमारी कर चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

□ चोरी के ₹800 नकद व घटना में प्रयुक्त लोहे की प्लास बरामद

आजमगढ़। थाना सिधारी पुलिस ने पैथालॉजी सेंटर एवं क्लिनिक में सेंधमारी कर काउंटर से नकदी चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

➡️□घटना के संबंध में वादी सूर्यनाथ तिवारी उर्फ सुरजु तिवारी पुत्र रामबली तिवारी, निवासी गेलवारा, थाना सिधारी, आजमगढ़ की तहरीर पर थाना सिधारी में मु0अ0सं0 351/2026 धारा 305/331(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी के अनुसार दिनांक 19.08.2026 की रात पुरा पाण्डेय स्थित पैथालॉजी सेंटर एवं क्लिनिक में सेंधमारी कर पैथालॉजी सेंटर के काउंटर से करीब ₹8,000 तथा क्लिनिक के काउंटर से करीब ₹4,500 चोरी किए गए थे।

➡️□विवेचना के दौरान थाना सिधारी पुलिस ने दिनांक 02.09.2026 को मुकदमे से संबंधित अभियुक्त कृष उर्फ किरीश पुत्र विनोद बांसफोर, निवासी जाफरपुर कांशीराम आवास, थाना सिधारी, आजमगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया। अभियुक्त की निशानदेही/कब्जे से चोरी के ₹800 नकद एवं घटना में प्रयुक्त एक लोहे की प्लास बरामद की गई।

➡️□गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

उ0नि0 मु0 जावेद सिद्दीकी, का0 अजीत सिंह एवं का0 विनोद कुमार यादव, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

थाना-तहबरपुर, जनपद-आजमगढ़

□ सोशल मीडिया पर तलवार व डमी कट्टा लहराकर रील बनाने वालों पर तहबरपुर पुलिस की कार्रवाई

□ "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत गैंग संस्कृति एवं दबंगई का प्रदर्शन करने वाले 02 युवकों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई एवं भय का माहौल पैदा करने वाली गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

➡️□अभियान के दौरान इंस्टाग्राम आईडी @RKBHAIAZAMGARH_MTL_0999 चिन्हित की गई, जिस पर रवि कुमार पुत्र स्व0 शिवशंकर राम एवं सत्यानन्द कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश, निवासीगण ग्राम रमनीपुर, थाना तहबरपुर, आजमगढ़ द्वारा तलवार एवं डमी कट्टा लहराते हुए उत्तेजक वीडियो/रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे थे। ऐसे कृत्यों से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना थी।

➡️□पुलिस द्वारा दोनों युवकों को चिन्हित कर वीडियो के संबंध में पूछताछ की गई तो वे पुलिस बल से कहासुनी एवं हाथापाई करते हुए विवाद करने लगे तथा फौजदारी पर आमादा हो गए। जिसके बाद थाना तहबरपुर पुलिस द्वारा दोनों के विरुद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गई।

साइबर टीम:

उ0नि0 सुर्लभ पाण्डेय, का0 अनूप रावत एवं का0 गोपाल।

थाना-महराजगंज, जनपद-आजमगढ़
□ शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने का आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
□पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, महराजगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को दबोचा

आजमगढ़। थाना महराजगंज पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने तथा धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त पिन्टू कुमार पुत्र शिवनाथ राम, निवासी मुडीलपुर, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 39 वर्ष को गिरफ्तार किया है।

➡□दिनांक 31.08.2026 को पीड़िता द्वारा थाना महराजगंज पर प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त द्वारा उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए। शिकायत के आधार पर थाना महराजगंज में मु0अ0सं0 211/2026 धारा 69/352/351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। मामले की विवेचना उ0नि0 चन्द्रजीत यादव द्वारा की जा रही है।

➡□वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महराजगंज पुलिस ने दिनांक 02.09.2026 को मुडीलपुर तिराहे के पास समय करीब 10:50 बजे अभियुक्त पिन्टू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

➡□गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:
थानाध्यक्ष श्री जयप्रकाश के नेतृत्व में उ0नि0 चन्द्रजीत यादव एवं रि0का0 राजीव यादव, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़।

जनपद- आजमगढ़
बिलरियागंज-रौनापार बॉर्डर पर अवैध रूप से संचालित पूर्वांचल अस्पताल सील

थाना बिलरियागंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम करमैनी में पूर्वांचल अस्पताल के नाम से अवैध रूप से बिना रजिस्ट्रेशन व बिना डिग्री के डाक्टरो द्वारा अस्पताल संचालित किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई । शिकायत में बताया गया कि बिना रजिस्ट्रेशन व बिना डिग्री के डाक्टरो द्वारा उक्त अस्पताल में गम्भीर रुप से पीडित मरिजों के उपचार व आपरेशन किये जाने से किसी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुयी है ।

उक्त का शिकायत का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण नहीं पाया गया तथा इसे अवैध रूप से संचालित होना पाया गया । विगत दिनों में जनपद में कई अवैध अस्पतालों बिना डिग्री के डाक्टरों द्वारा मरिज का इलाज करने व आपरेशन करने से जनहानि की घटना हुयी थी । उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण नहीं पाया गया तथा इसे अवैध रूप से संचालित होना पाया गया । तत्पश्चात उप मुख्य चिकित्साधिकारी की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पूर्वांचल अस्पताल को सील कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम-

1. डा0 मोहन लाल, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद आजमगढ़।
2. धीरेन्द्र शुक्ला, वरिष्ठ सहायक चिकित्साधिकारी, जनपद आजमगढ़।
3. बृजेश सिंह, सहायक कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला अस्पताल आजमगढ़।